

## न्यायालय सहायक कलेक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारी:- श्री कार्तिकेय मीणा, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या: 110/2020

दायर दिनांक 30.06.2020

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
1. भोलाराम पुत्र पेमाराम उम्र 50 वर्ष 2. बुधाराम पुत्र पेमाराम उम्र 48 वर्ष समस्त जाति मेघवंशी, निवासीगण भवादिया, तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0।	बनाम	1. मानाराम पुत्र मंगाराम उम्र 53 वर्ष जाति नायक निवासी खुडेरा बड़ा तहसील रतनगढ़ जिला चुरू राज0 2. रामुराम पुत्र मुंशीराम उम्र 57 वर्ष जाति मेघवाल 3. सुल्तानसिंह पुत्र सुगनसिंह जाति राजपुत 4. कमली पत्नि लक्ष्मणराम समस्त निवासीगण निवासी भवादिया तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0 5. उप पंजियक डीडवाना।

दावा बाबत  
घोषणा खातेदारी, रेकॉर्ड दुरुस्ती, व स्थाई निषघाज्ञा  
अन्तर्गत धारा- 53, 88, 188, R.T.Act.  
प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 सी0पी0सी0

## उपस्थित:-

1. श्री मो0 अली शैरानी वकील वादी।
2. श्री महेन्द्र खिलेरी वकील प्रतिवादी।

-:: निर्णय ::-

दिनांक 17.06.2022

अनुवान प्रकारण के प्रतिवादी सं0 01 सुखीदेवी पत्नि स्व0 गंगाराम जाति जाट निवासी डिकावा तहसील डीडवाना की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सी0पी0सी0 का पेश किया प्रार्थना पत्र के संक्षेप में तथ्य निम्न प्रकार है कि -

1. यह है कि वादीगण ने उक्त वाद मनघड़त व झुठे तथ्यों के आधार पर पेश किया है, इसलिये वाद खारिज किये जाने योग्य है।
2. यह है कि एक तरफ वादीगण स्वयं स्वीकार करता है कि मैंने खेत खसरा सं0 111/1 रकबा 31 बीघा भूमि के अपने हिस्से में से 8 बीघा भूमि दिनांक 26.02.2002 को जरिये विक्रय पत्र प्रतिवादी सं0 01 को बैचाण कर उक्त हिस्से पर ये अपने सभी हक अधिकार प्रतिवादीगण सं0 01 को दे दिये, जिसका अर्थ है कि वादीगण के पास विक्रय भूमि पर किसी प्रकार का कोई हक अधिकार नहीं है।
3. यह है कि वादीगण वाद में एक तरफ तो प्रतिवादीगण सं0 1 को बैचाण करना स्वीकारता है, तो दूसरी ओर कहता है कि अप्रार्थी सं0 03 को गिरवी रखी थी। दोनो ही मतों में विरोधाभास है। जिससे स्पष्ट है कि वाद बेबूनियादी, बिना किसी ठोस आधार के है जो स्वतः ही खारिज होने योग्य है।
4. यह है कि प्रतिवादी सं0 1 अपने जवाब में स्वीकार करता है कि उसने वादीगण से जरिये विक्रय पद खरीद की जिसका नामान्तरण प्रतिवादीगण सं0 1 के नाम से नकल खतौनी में दर्ज हुआ, एवं प्रतिवादीगण सं0 1 ही 2002 से 2017 तक कब्जा काशत रहा तथा हर प्रकार से उपयोग उपभोग करता रहा है जो बाद में प्रतिवादीगण सं0 1



सहायक कलेक्टर  
डीडवाना (नागौर)

- ने प्रतिवादीगण सं० 2 रामूराम को बैचाण किया। इससे स्पष्ट है कि वादीगण का वाद झुठा एवं बेबुनियाद है वादीगण का बैचाण के बाद कभी भी कब्जा नहीं रहा एवं झुठी काहानी बनाकर वाद पेश किया है।
5. यह है कि प्रतिवादीगण सं० 2 अपने जवाब में स्वीकार करता है कि 20/3/2020 प्रतिवादी सं० 4 को बैचाण कर दी। यही बात वादीगण स्वयं स्वीकार करता है।
  6. यह है कि प्रतिवादी सं० 04 अपने जवाब में बताती है कि उसने प्रतिवादीगण सं० 2 से रजिस्टर्ड खरीद किया है, जिसका नामान्तरण प्रतिवादीगण सं० 4 के नाम से दर्ज है। जिस पर आज दिन तक प्रतिवादीगण सं० 04 ही कब्जा काश्त व काविज है।


**विशेष कथन :-**

1. यह है कि वादीगण ने खेत खसरा सं० 111/1 रकबा 31 बीघा भूमि के अपने हिस्से में से 8 बीघा भूमि बैचाण जरिये विक्रय पत्र प्रतिवादीगण सं० 01 को आज से बीस साल पूर्व दिनांक 26/2/2002 को किया, जिसका पंजियन उप पंजियन शाखा डीडवाना में हुआ। जिसका नामान्तरण प्रतिवादीगण सं० 01 के नाम से हुआ। जिस पर प्रतिवादी सं० 1 रिकॉर्डेड खातेदार व कब्जा काश्त रहा है। उसके बाद उक्त प्रतिवादी सं० 01 ने प्रतिवादी सं० 02 को दिनांक 29.05.2017 को जरिये विक्रय पत्र बैचाण किया था, प्रतिवादी सं० 02 ने प्रतिवादी सं० 04 को दिनांक 20.03.2020 को जरिये विक्रय पत्र बैचाण किया था। जिसका नामान्तरण प्रतिवादीगण सं० 04 के नाम से दर्ज हुआ। जिस पर प्रतिवादीगण सं० 04 रिकॉर्डेड खातेदार व कब्जा काश्त रहा है।
2. यह है कि वादीगण ने न्यायालय को गुमराह करने व समय बर्बाद करने के लिए बिना किसी ठोस आधार के उक्त वाद पेश किया है। वादीगण ने वाद में कही भी स्पष्ट नहीं किया है कि वादी को घोषणा खातेदारी चाहिए। सिर्फ एक ही बात पर फाक्स किया है कि बैचाण शुन्य है। जबकि वादीगण रिकॉर्डेड खातेदार होने की हैसियत से वादीगण ने उक्त वाद में अंकित खेत खसरा सं० 111/1 रकबा 31 बीघा भूमि के अपने हिस्से में से 8 बीघा भूमि का बैचाण प्रतिवादीगण सं० 1 को कर दिया, जिस पर दिनांक 26.02.2002 से दिनांक 2.05.2017 निरन्तर कब्जा काश्त रहा है।
3. यह है कि वादीगण स्वयं वाद में निवेदन कर रहे हैं कि उक्त खसरान की भूमि को बेदखल, विनियम, हस्तान्तरण, दान, निर्माण न करने की निषेधाज्ञा जारी करें। जबकि वादीगण स्वयं ही अस्थाई निषेधाज्ञा श्रीमान द्वारा जारी हाने के बाद मेढबन्दी तोड़ना, छान, झोपडी आदि का निर्माण कर न्यायालय के आदेश की अवहेलना करी है तथा न्यायालय को बार-बार गुमराह कर रहे हैं। तथा वादीगण एक महिला हैं जिसका पति सीमा सुरक्षा बल में देश सेवा में कार्यरत है।

अतः निवेदन है कि वादीगण का वाद गलत तथ्यों पर व बिना किसी ठोस सबूतों के तथा आधारहीन होने से प्रतिवादीगण सं० 01 व 4 की ओर से प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 स्वीकार कर उक्त दावे को खारिज फरमावें।

**जवाब दरखास्त आदेश 07 नियम 11 सी.पी.सी**


1. यह है कि प्रार्थना-पत्र सं० 01 गलत होने से अस्वीकार है।

  
 सहायक कलेक्टर  
 डीडवाना (नामौर)

2. यह है कि प्रार्थना-पत्र का पद सं0 2 जिस तरह से लिखा गया है, वो गलत होने से अस्वीकार है। वादीगणों ने दावों में कही भी इस बात को उल्लेख नहीं किया है कि खेत खसरा सं0 111/1 रकबा 31 बीघा में से 8 बीघा भूमि का कारकूट बैचाण करके अपने हक अधिकार प्रतिवादीगणों को दे दिये है। जबकि वादीगणों ने गिरवीनामा के बैचाण बाबत स्पष्ट तथ्यों का उल्लेख है। केवल प्रतिवादी ने अपने दरखास्त में ही तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर गलत तथ्य वर्णित किये है। जो गलत होने से अस्वीकार है।
3. यह है कि प्रार्थना-पत्र का वाद सं0 03 में वर्णित तथ्य गलत होने से अस्वीकार है।
4. यह है कि प्रार्थना-पत्र का पद सं0 04 में जिस तरह से तथ्यों को वर्णित किया है उसमें से केवल नामान्तरण दर्ज होने के तथ्य सही है। बाकी तथ्य गलत होने से अस्वीकार है। प्रतिवादीगणों ने कभी भी वादग्रस्त वादी के खेत पर कब्जा काश्त नहीं की है। आज भी वादीगणों का ही निर्बाध रूप से कब्जा काश्त है और वादीगण ही परिवार सहित ढाणी बनाकर वहां खेत में निवास कर रहे है।
5. यह है कि प्रार्थना-पत्र के पद सं0 5 गलत होने से अस्वीकार है। यह कहना भी गलत है कि प्रतिवादी सं0 02 ने प्रतिवादी सं0 4 को बैचाण करने की बात दावों में स्वीकार की है। जबकि सही तथ्य यह है कि वादी ने यह तथ्य तो कोर्ट के संज्ञान में लाने के लिए लिखे है, इसका तात्पर्य वादीगणों द्वारा जमीन बैचाण करने के स्वीकार से नहीं है।
6. यह है कि प्रार्थना-पत्र का पद सं0 6 में वर्णित तथ्य भी गलत होने से अस्वीकार है। जिन लोगो ने फर्जी एवं बेनामी बैचाण बाले-बाले करवाये है, उनका वाद में उल्लेख मात्र है, इन तथ्यों से तात्पर्य वादी के द्वारा बैचाण स्वीकार करने से नहीं है प्रतिवादीगणों का यह कहना भी गलत है कि वादी ने आज तक इस खेत पर कब्जा काश्त नहीं की है।

विशेष कथन :-

7. यह है कि विशेष कथन के पद सं0 1 ता 3 में वर्णित तथ्य गलत होने से अस्वीकार है। हद बार प्रतिवादीगणों ने प्रत्येक पद में शब्दों को बैचाण बाबत रिपिट ही किया है, इसलिए जवाब देने की आवश्यकता नहीं है। उपर के मदों में विस्तृत जवाब दिया जा चुका है।
8. यह है कि वादी ने वाद ठोस आधारों पर पेश किया है। इसलिए सम्पूर्ण दावा कानूनी रूप से बाई ट्रायल ही चलकर दोनो पक्षों को सुनकर सम्पूर्ण दस्तावेजों के साक्ष्य पेश करने के बाद ही दावों को तय करना चाहिये।
9. यह है कि पटवारी उपरोक्त विवादित जायगा का बिना मौका मुआयना किये ही स्पूटेशन भरा गया है, जो पूर्णतया गलत है तथा उपरोक्त विवादित जायगा की जो दानो रजिस्टर्ड बैचाणनामा किये गये है, वे बेनामी है बैचाण है, क्योंकि जिन पार्टियों ने उक्त विवादित जायगा खरीद की है, उन्हे न तो जमीन की लोकेशन पता है और न ही उन्होने कभी जमीन देखी सं0 है और न ही कभी काश्त की थी।
10. यह है कि खेत खसरा सं0 111/1 रकबा 31 बीघा भूमि संयुक्त खातेदारी की है, जिसका अभी तक बंटवारा नहीं हो रखी है तथा उक्त कृषि भूमि का सभी भाई संयुक्त खातेदारी के रूप में ही उपयोग व उपभोग के रूप में काम ले रहे है तथा इस जायगा में नरेगा के तहत तीनों भाईयों के अलग-अलग तीन टांके भी बने हुये है तथा एक जीएलआर भी बना हुआ है। उक्त विवादित जायगा का बेनामी बैचाण

  
 सहायक कलेक्टर  
 डीडबाना (नागौर)

पहले भानाराम निवासी चुरु जिला के नाम करवाई तथा उसके बाद भानाराम निवासी चुरु जिला के नाम करवाई तथा उसके बाद भानाराम से उसी जमीन का बेनामी बैचाण करवाया, इन दोनो व्यक्तियों को न तो जमीन के बारे में कोई जानकारी रही है और न ही लोगो ने उक्त जमीन के बैचाण व खरीद की कोई राशि ही प्राप्त की है, केवल मात्र बेनामी बैचाणनामा निष्पादित किये गये। यह सभी बेनामी बैचाणनामें सुल्तान सिंह के इशारों पर ही निष्पादित किये गये है तथा उक्त बेनामी बैचाणनामें के आधार पर रामुराम ने सुल्तान सिंह के कहे अनुसार पुनः कमली निवासी भवादिया के नाम बेनामी बैचाणनामा निष्पादित कर दिया है, लेकिन मौके पर आज भी वादीगण का ही कब्जा काशत चला आ रहा है तथा उपरोक्त जायगा में वादी व उसके भाईयों के पिछले 30-35 वर्षो से रहवासी मकान बना कर निवास कर रहे है, जिससे यह साबित होता है कि सुल्तान सिंह द्वारा किये गये उपरोक्त बैचाणनामें पूर्णतया बेनामी बैचाण की श्रेणी में आते है। भानाराम व रामुराम द्वारा भी उपरोक्त बैचाण बिना लेन-देन के होने के संबन्ध में अपने शपथ-पत्र भी निष्पादित किये गये है जो पत्रावली में शामिल है।


अतः जवाब प्रार्थना-पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रतिवादीगण का प्रार्थना-पत्र मय हर्जा-खर्चा के खारिज फरमाये जाने का आदेश सादर फरमावे।

अप्रार्थी सं० 04 की उक्त जायगा जरिये रजिस्ट्री खरीद शुदा है। जिसमें वादीगण का कोई हक अधिकार नहीं है। रजिस्ट्री बेचाण को शून्य करने का हक भी इस न्यायालय को नहीं है।

इस प्रकार प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 सी०पी०सी० का उक्त वाद में सही साबित होता है। अतः प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 सी०पी०सी० तथ्य सही होने से स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

#### आदेश


अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सी०पी०सी० का स्वीकार किया जाता है प्रार्थना-पत्र 07 नियम 11 सी०पी०सी० का स्वीकार होने से वादीगण का वाद खारिज किया जाता है।

  
(कार्तिक मीणा)  
सहायक कलेक्टर  
R.A.S.  
डी.डी. (नामौर)

डीडवाना

निर्णय आज दिनांक 17.06.2022 को सरे ईजलास में सुनाया

गया।

  
(कार्तिक मीणा)  
R.A.S.  
डी.डी. (नामौर)  
सहायक कलेक्टर  
डीडवाना